

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।
पत्र संख्या:- 255 / 14-1, बरेली, दिनांक, 17 / जनवरी / 2018.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
मोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद बदायूँ में मेरठ-बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-18) के किमी० 163 से 208(400) तक के भाग में दो लेन से चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु मार्ग के दोनों ओर पड़ने वाले वृक्षों के पातन एवं 64.80 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोगी की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-2137 / बदायूँ / 23705 / 2017, दिनांक 11.01.2018

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ ने अपनी पत्र संख्या- 2012/14-1 दिनांक 12.01.2018 से आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार सूचनायें/अनिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये हैं। प्रभाग स्तर से प्राप्त आख्या संलग्नकों सहित निम्नानुसार संस्तुति सहित प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	बिन्दु संख्या - 4 Benefit cost Analysis report as per not format in the MOEF & CC guidelines.	Benefit cost analysis सुधार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	बिन्दु संख्या - 8 NPV Calculation uploaded online is based on incorrect rates.	एनपीवी (net present value) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रसंगत क्षेत्र का घनत्व 0.4 है और क्षेत्र श्रेणी तीन का है। भारत सरकार के एनपीवी सम्बन्धी दिशा निर्देश के पत्रांक P No. 503/2007-1C dated 05-02-2009 के अनुसार उक्त श्रेणी के घनत्व वाले डेन्स फॉरेस्ट की एनपीवी दर रु० 8.03 लाख प्रति हेक्टेयर है जिसके आधार पर प्रस्ताव में आंकलन किया गया है जो कि सही है। भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में इस बिन्दु पर विचार विमर्श भी किया गया है जहाँ से उक्त दर की ही पुष्टि हुई है।
3	बिन्दु संख्या - 11 District magistrate has counter signed the certificate to be issued FRA 2006 the certificate is without date and dispatch No. The content of certificate shall incorporate issues related to rights of primitive forest dwelling communities along with scheduled tribal population.	जिलाधिकारी बदायूँ द्वारा एफ०आर०ए० 2006 के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण-पत्र अपेक्षानुसार सुधार कर अपलोड कर दिया गया है जिस पर पत्रांक एवं दिनांक अंकित है।
4	The filing permission for 10647 No. of trees sought by state government vide letter dated 20 th December 2017 is in variance with the information provided in hard copy of proposal (14875 No. of plants + 11256 No. of trees).	प्रस्ताव में 10647 वृक्षों के स्थान पर 11256 वृक्षों एवं 14875 पौधों के पातन को हार्ड कॉपी के अनुसार ऑनलाईन सुधार कर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:- यथोपरि।

पत्र संख्या:- (1) / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ को उनके पत्रांक-2012/14-1, दि० 12.01.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय
(चौ०को लि०)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

(चौ०को लि०)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।